

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड, देहरादून- 248001

Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in

फोन नं० (0135) - 2713551

फोन नं० (0135) -2713724,

संख्या- 1338/XXV- 2/2019 देहरादून : दिनांक 31 दिसम्बर, 2020

सेवा में,

श्री वेद गुप्ता (पत्रकार),
247-स्मिथ नगर,
प्रेमनगर, देहरादून।

विषय- सूचना के अधिकार अधि 2005 की धारा-5 में गलत सूचना दिये जाने सम्बन्धी।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 14.12.2020 जो इस कार्यालय में दिनांक 17 दिसम्बर 2020 को प्राप्त हुआ है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें आप द्वारा भारतीय सैन्य अकादमी एवं छावनी परिषद देहरादून और मुख्य चुनाव अधिकारी, देहरादून से एम0टी0 क्लोनी में फर्जी वोटों के बारे में जानकारी मांगी गयी, परन्तु आपको गुमराह कर गोल-मोल जवाब दिया जा रहा है, जबकि एम0टी0 क्लोनी में सिर्फ वही के कर्मचारी रह सकते हैं तथा लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर समय समय पर सूचना दिलाने की कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है।

2- आपके द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है-

2(1)- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आपके अनुरोध पत्र दिनांक 24.8.2020 में चार विन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी, सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय में धारित न होने के कारण आपका अनुरोध पत्र इस कार्यालय के पत्र संख्या-782 दिनांक 15 सितम्बर 2020 के द्वारा Central Public Information Office (CPIO) Officer Superintendent, Cantonment Board Officer Garhi Dehradun Cant (Uttarakhand) Pin Code- 248003, को हस्तान्तरित की गयी।

2(2)- आप द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपने अपीलीय पत्र दिनांक 08 अक्टूबर 2020 द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसकी सुनवाई की तिथि दिनांक 12 नवम्बर 2020 निर्धारित की गयी थी, जिसकी सूचना आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या-993 दिनांक 23 अक्टूबर 2020 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

2(3)- दिनांक 12 नवम्बर 2020 को मोबाईल फोन के माध्यम से प्रथम अपील की सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न हुई जिसके क्रम में अपीलीय अधिकारी के आदेश संख्या-111 दिनांक 23 नवम्बर 2020 की प्रति आपको सादर प्रेषित की गयी थी।

2- आप द्वारा शिकायती पत्र दिनांक 7.12.2020 जो इस कार्यालय में दिनांक 11 दिसम्बर 2020 को प्राप्त हुआ है जिसका सन्दर्भ इस कार्यालय से सम्बन्धित न होने के कारण इस कार्यालय के पत्र संख्या- दिनांक के द्वारा मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद, गढ़ीकैण्ट, देहरादून को प्रेषित की गयह एवं सूचना आपको भी उपलब्ध करायी गयी है।

अतः उक्त सम्बन्ध में यह कहना है कि आप द्वारा की गयी शिकायत इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है, बार-बार आपसे अनुरोध किया गया है कि इस कार्यालय द्वारा केवल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी की जाती है, छावनी परिषद की किसी भी प्रकार की निर्वाचक नामप्रवली इस कार्यालय से तैयार नहीं की जाती अतः आप इस प्रकरण में सम्बन्धित विभाग से पत्राचार करने का कष्ट करें, ताकि आपको समय से इसकी सूचनायें प्राप्त हो सकें।

भवदीय,

सेवा में,

Lechner
17-12-2020

श्री मान गुरव बुनाव आधुक्त/श्रीमान
देहरादून।

बिषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के
धारा-5 के अंतर्गत सूचना दी गई जम्मे जाने
संबंधी।

महोदय,

मित्र निवेदन है कि मैं भारतीय सैन्य
अकादमी एवं छावनी परिषद देहरादून और
गुरव बुनाव अधिकारी, देहरादून से एन० सी०
कलौनी के फर्जी बोलों के बारे में जानकारी मांगी
गयी थी। परन्तु मुझे गुरव कर गोल गोल जवाब
दिता जा रहा है। जबकि एन० सी० कलौनी के सिर्फ
बोलों के किताबती रह सकते हैं।

अतः श्री मान जी आप से विनम्र
प्रार्थना है कि लोक सूचना अधिकारी को
बिना उचित दंडात्मक अप्रतिबन्धों के
पर सूचना दिलाने का कष्ट करें।

दिनांक
14-12-2020

धन्यवाद।

नोट:- 34 पन्नी कि दस्ता
जति दी है में संलग्न है।

ग्रा. फिलिप/भारत
वैद गुप्ता

(पत्रकार)

247, विन्ध्य नगर,

प्रीत नगर,

देहरादून,

मो.:- 741706368।

**अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून।**

अपील संख्या- 14/2020

अपीलकर्ता- श्री वेद गुप्ता (पत्रकार), 247-स्मिथ नगर, प्रेमनगर, देहरादून।

उत्तरदाता- लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश

अपीलकर्ता श्री वेद गुप्ता (पत्रकार), 247-स्मिथ नगर, प्रेमनगर, देहरादून अपीलीय पत्र दिनांक 14.10.2020 के सम्बन्ध में दिनांक 12.11.2020 के प्रातः 11.00 बजे से उनके मोबाइल नम्बर 7417063681 पर अपील के सम्बन्ध में सुनवाई प्रारम्भ की गयी।

अपीलकर्ता को लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र संख्या-782 दिनांक 15 सितम्बर 2020 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी तथा अवगत कराया गया कि निर्वाचन विभाग द्वारा केवल विधान सभा निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नियमानुसार सम्पन्न की जाती है।

अपीलकर्ता को अनुरोध सहित यह भी अवगत कराया गया कि उनके अनुरोध पत्र दिनांक 24.8.2020 में जो सूचना मांगी गयी थी वह इस कार्यालय से सम्बन्धित न होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत Central Public Information Office (CPIO) Officer Superintendent, Cantonment Board Officer Garhi Dehradun Cant Uttarakhand को हस्तान्तरित किया गया था।

2- केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय छावनी परिषद देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या-VI/56/RTI/VG/13 दिनांक 22 अक्टूबर 2020 जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, के द्वारा आपके उक्त अनुरोध पत्र के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित की गयी है। फलस्वरूप संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार मोबाइल के माध्यम से अपील की सुनवाई के फलस्वरूप अपील को निस्तारित किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी/मु0नि0अधि0 कार्यालय द्वारा पूर्व में उपलब्ध करायी गयी सूचना कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उचित है।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी।

दिनांक - 23/11/2020

पू0संख्या-1111/XXV-12(9)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1-अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।

2- श्री वेद गुप्ता (पत्रकार), 247-स्मिथ नगर, प्रेमनगर, देहरादून, को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी।

[Handwritten Signature]

7922/26-2020/VG/RTI

२७ अक्टूबर 2020

वेद गुप्ता (स्टेट प्रेसीडेंट), आल मिडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन

247 रिमथ नगर,

प्रेम नगर, देहरादून -248007

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगने के सम्बंध में

RIGHT TO INFORMATION ACT -2005

VED GUPTA

1. आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 01 अक्टूबर 2020 के संदर्भ में जो इस कार्यालय में दिनांक 06 अक्टूबर 2020 को प्राप्त हुआ।

2. सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मान्य एवं इस अकादमी में उपलब्ध सूचना निम्नलिखित पैराग्राफों में दी जा रही है।

3. **प्रश्न 1 की सूचना.** छावनी परिषद की मतदाता सूची की क्रम संख्या 2849 से 2915 की जाँच करने पर ज्ञात हुआ है कि भारतीय सैन्य अकादमी के निम्नलिखित कर्मचारियों को एम टी कॉलोनी, भारतीय सैन्य अकादमी में विवाहित आवास आवंटन किया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी/मतदाता का नाम	मकान संख्या तथा स्थल
(i)	कारपेन्टर श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री सुक राम (31 मई 2016 को सेवानिवृत्त) 2857	ईडब्ल्यू - 156/1, एम टी कॉलोनी
(ii)	युडीसी श्री रम राज गुरंग पुत्र बम बहादुर 2846	ईडब्ल्यू - 156/2, एम टी कॉलोनी
(iii)	एम टी ड्राइवर श्री शाब सिंह पुन्डीर (सेवानिवृत्त) 2897	ईडब्ल्यू - 155/1, एम टी कॉलोनी
(iv)	आशुलिपीक श्री महेन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री दिलवर सिंह 2869	ईडब्ल्यू - 155/2, एम टी कॉलोनी
(v)	एम टी ड्राइवर श्री गुमान सिंह (सेवानिवृत्त) 2886	ईडब्ल्यू - 154/1, एम टी कॉलोनी
(vi)	युडीसी श्रीमती विमला देवी पत्नि श्री राम प्रसाद 2849	ईडब्ल्यू - 154/2, एम टी कॉलोनी
(vii)	एम टी ड्राइवर श्री नरेन्दर सिंह 2904	ईडब्ल्यू - 153/1, एम टी कॉलोनी
(viii)	एलडीसी श्री आदेश कुमार 2890	ईडब्ल्यू - 153/2, एम टी कॉलोनी
(ix)	फटीगमैन श्री विरेन्द्र सिंह (29 फरवरी 2020 को सेवानिवृत्त) 2937	ईडब्ल्यू - 176/5, एम टी कॉलोनी
(x)	सफाईवाला श्री दीपक कुमार 2905	ईडब्ल्यू - 177/6, एम टी कॉलोनी
(xi)	ग्राउन्ड्समैन श्री रंजी कुमार 2916	ईडब्ल्यू - 177/5, एम टी कॉलोनी

[Handwritten Signature]

4. **प्रश्न 2 की सूचना.** सूचित किया जाता है कि एम ई एस की सूचना के आधार पर पिछले अध्यासी के आवास को खाली करने के उपरान्त स्टेशन क्वाटरिंग समिति द्वारा पैरा 3 के अनुसार आवासों का आवंटन किया गया है। यदि मतदाता सूची की क्रम संख्या 2849 से 2915 में आवंटियों के परिजनों के नाम दर्शित हैं तो यह कार्यालय इसकी पुष्टी नहीं करता। हालाँकि इसकी सूचना छावनी परिषद, गढ़ी कैन्ट के कार्यालय से माँगी जा सकती है।

5. **प्रश्न 3 तथा 4 की सूचना.** सरकारी विवाहित - आवास भारतीय सैन्य अकादमी के स्थायी कर्मचारियों को एम टी कॉलोनी में आवंटित किए जाते हैं। कोई भी बाहरी असैनिक व्यक्ति भारतीय सैन्य अकादमी के सरकारी विवाहित-आवास के लिए प्राधिकृत नहीं है।

6. **प्रश्न 5 की सूचना.** सूचना पहले ही पैराग्राफ 4 में दी जा चुकी है। सभी सरकारी कर्मचारी भारतीय सैन्य अकादमी के स्टेशन एडहॉक मुख्यालय में सरकारी विवाहित-आवास के आवंटन के लिए आवेदन करते हैं। एक वरिष्ठता/प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है जिसमें वरिष्ठता के अनुसार अधिकारियों की परिषद के द्वारा सरकारी विवाहित - आवासों का आवंटन किया जाता है।

7. इस अकादमी के प्रथम अपील अधिकारी का विवरण इस प्रकार है:-

डिप्टी कमाण्डेंट एवं मुख्य अनुदेशक
भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(ए के शर्मा)
(AK Sharma)
कर्नल / Colonel
लोक सूचना अधिकारी
Public Information Officer

संख्या: 993 /XXV-12(10)/2018

देहरादून : दिनांक 23 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

श्री वेद गुप्ता (पत्रकार),
247-स्मिथ नगर,
प्रेमनगर, देहरादून।
मो० नम्बर-7417063681

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील पर सुनवाई के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपने अपीलीय पत्र दिनांक 08 अक्टूबर 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या-782 दिनांक 15 सितम्बर 2020 द्वारा आपके अनुरोध पत्र दिनांक 24-8-2020 में अंकित 4 बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित न होने के कारण Central Public Information Office (CPIO) Officer Superintendent, Cantonment Board Officer Garhi Dehradun Cant (Uttarakhand) Pin Code-248003, को हस्तान्तरित की गयी है जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गयी है। आपने अपने उक्त अपीलीय पत्र में उल्लेख किया है कि आपको अभी तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पुनः आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या-782 दिनांक 15 सितम्बर 2020 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

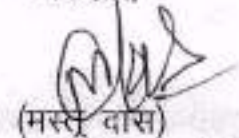
2- सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 12 नवम्बर 2020 की तिथि समय- 11:00 बजे निर्धारित की गयी है।

3- मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या-2913 दिनांक 04-06-2020 द्वारा विभागीय प्रथम अपीलों का निस्तारण कोविड-19 के संक्रमण, महामारी के दृष्टिगत जनहित तथा कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में सुनवाई ऑडियो/वीडियो कॉल के माध्यम से या लिखित अभिकथन के आधार पर किये जाने के निर्देश हैं।

अतः अनुरोध है कि आपसे उक्त नियत दिनांक व समय पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय फोन नम्बर-0135-2713551 मोबाईल नम्बर 9897995591 से सम्पर्क कर अपील की सुनवाई में प्रतिभाग किया जा सकता है। कृपया सम्पर्क हेतु अपना मोबाईल नम्बर/Whatsapp नम्बर /E-Mail आईडी उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अनुरोध करना है कि यदि आप सहमत हों तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में दूरभाष से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,


(मस्तू दास)

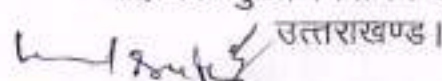
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

प्र०संख्या- /XXV-12(9)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,


उत्तराखण्ड।

संख्या VI/56/RTI/VG/13
कार्यालय छावनी परिषद देहरादून
दिनांक:- 22 अक्टूबर 2020

सेवा में,

श्री बसन्त सिंह रावत
अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर
4-सुभाष रोड,
देहरादून-248001

विषय:-सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना के संबंध।
आपके पत्रांक संख्या-782/XXV-12(9)/2018 देहरादून दिनांक
15/09/2020 के संदर्भ में।

महोदय,

एतद द्वारा आपको यह अवगत करवाना है कि श्री वेद गुप्ता पत्रकार निवासी 247,स्मिथनगर,प्रेमनगर, देहरादून के अनुरोध पत्र दिनांक 24/08/2020 के संदर्भ में आपको यह सूचित करना है कि छावनी परिषद अधिनियम 2007 के **Cantonment Electoral Rules, 2007** अंतर्गत 1 जून से 30 जून तक अपने कर्मचारीयो द्वारा प्रति वर्ष सर्वे कराया जाता है जिसमे नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक घर में संपर्क कर वोटर लिस्ट का निर्माण करता है और प्रत्येक घर के मुखिया से संपर्क करके वोटरलिस्ट में नाम लिखता है जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी घर के मुखिया या जो भी नाम लिस्ट में चढ़वा रहा है और हस्ताक्षर करता है, कि होती है तत्पश्चात छावनी परिषद देहरादून द्वारा 1 जुलाई से बनाई गई वोटर लिस्ट को **Cantonment Electoral Rules, 2007** कि धारा 13 के अंतर्गत 1 जून से 30 जून तक उक्त वोटरलिस्ट का प्रकाशन क्लेम व ओब्जेक्शन हेतु करता है तत्पश्चात जो भी क्लेम व ओब्जेक्शन प्राप्त होते है उनका निराकरण सुनवाईकर कर देता है व 15 सितंबर को अंतिम व पूर्ण सुनवाई के बाद वोटरलिस्ट का प्रकाशन करता है।

h/ h/

(6)

छावनी परिषद देहरादून द्वारा वोटरलिस्ट के प्रकाशन में संपूर्ण
Cantonment Electoral Rules, 2007 के नियम का पालन करता है व
तत्पश्चात ही वोटरलिस्ट का प्रकाशन करता है।

रिपोर्ट सूचनार्थ सेवा में प्रेषित

लोक सूचना अधिकारी

राष्ट्रीय लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय छावनी परिषद देहरादून
छावनी परिषद, देहरादून

प्रतिलिपी

✓ श्री वेद गुप्ता (पत्रकार),
247, स्मिथनगर, प्रेमनगर,
देहरादून।

Handwritten signature

(7)

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड, देहरादून- 248001

Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in

फोन नं० (0135) - 2713551

फैक्स नं० (0135) -2713724

संख्या- 782/xxv- 12(9)/2018 देहरादून : दिनांक 15 सितम्बर, 2020

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण के लिए प्रपत्र सेवा में,

**Central Public Information
Office (CPIO)
Officer Superintendent,
Cantonment Board Officer Garhi
Dehradun Cant (Uttarkhand)
Pin Code 248003**

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-487 दिनांक-1.09.2020 के साथ संलग्न श्री वेद गुप्ता (पत्रकार), पता-247 स्मिथनगर, प्रेमनगर, देहरादून, का अनुरोध पत्र दिनांक 24.08.2020 जो इस कार्यालय में दिनांक 03.09.2020 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, कि प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि चाही गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित प्रतीत होती है। अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

प्रसंख्या- 782 /xxv- 12(9) /2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि- श्री वेद गुप्ता (पत्रकार), पता-247, स्मिथनगर, प्रेमनगर, देहरादून, को सूचनार्थ प्रेषित।

h/mh

B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

श्री मान प्रथम असीलीप अधिकारी/
श्री मान पुरव निवासेन आश्रुक्त
कैसीप निवासेन आश्रुक्त उत्तराखण्ड
(भारत सरकार) देहरादून।

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005
के धारा-7 के अधीन प्रथम असीलीप
प्रतिना पत्र।

प्रतीद

मद्र निवेदन है कि 24-8-2020
को श्री मान लोक सूचना अधिकारी/श्री मान
पुरव निवासेन आश्रुक्त के 4 बिन्दुओं पर
सूचना मांगी गई थी। जबकि सूचना 48 घंटे
में देनी थी। मुझे आज तक कोई भी सूचना
प्राप्त नहीं हुई है।

अतः श्री मान श्री आश्रुक्त निवेदन
प्रतिना है कि लोक सूचना अधिकारी के
बिखर सखत दण्डात्मक कार्यवाही कर सूचना
दिलाने का कसूर करें।

वन्देवादा ।

दिनांक
8-10-2020

नोट:- दो फूट के दायज
समाप्त है।

lml/mlml

श्रीमान/श्रीमान
वैद गुप्ता

(पत्रकार)

247, दिल्ली नगर,

पुल नगर,

देहरादून

मो:- 7417083681

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the symptoms and the context in which they are occurring.

6. 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675,

7/25/20

10

10

21

162

10) गोरखद फौज, देहरादून के किस अधिकारी द्वारा
 ये वोट लिखे जा रहे हैं? उनका नाम, पद
 बता देने का फरमान करें।

11) यह कि जो नामों का फरमान करें कि इन
 सभी मतदाताओं के विवरण पत्र कनिष्ठा
 कोणी और वीर अधिकारी किस विभाग
 के तहत कनिष्ठा करेंगे।

अतः जो नाम जो आप
 विभाग प्रमाण है कि इन दिनों
 विभाग पर 48 घंटे के भीतर सूचना
 देने का फरमान करें। क्योंकि इसी जानकारी
 रखना है और उत्तराखण्ड शासन द्वारा
 इसे सुरक्षा मिलि हुई है।

धन्यवाद।

दिनांक
 24-8-20

श्री श्री
 वैद गुप्ता
 (पत्रकार)

मोट: - 20 रुपये का फरमान प्रेषित
 आडर नं० 999013 व 999014
 247, सिंगल नगर,
 देहरादून।

मोट: - 4-3-17 का वीर फरमान
 जो के प्रमाण का वोट
 के प्रमाण पत्र व वोट लिख
 कि जति सत्यापन है। कुल 4 वोट
 कि दादा श्री लाल है।

अवकाश COLLECTOR
 इसे पत्रक देना नहीं चाहिए
 To be detached and kept
 by the Sender.

पोस्टल आर्डर
 ₹ 10
 POSTAL ORDER

दिनांक
 24-8-20
 दिनांक
 At what Office
 क्या प्रेषित किया है
 Whether crossed
 क्या को नहीं
 Date sent
 52F 999013

अवकाश COUNTERFOIL
 जो पत्रक देना नहीं चाहिए
 To be detached and kept
 by the Sender.

पोस्टल आर्डर
 ₹ 10
 POSTAL ORDER

दिनांक
 24-8-20
 दिनांक
 At what Office
 क्या प्रेषित किया है
 Whether crossed
 क्या को नहीं
 Date sent
 52F 99901.

स्वीट मोटर



11

EV854850170IN

Counter No: LCP-Codes: PHL

To: CHIEF ELECTION COMM, CENTER ELEC ARVIL

DEHRADUN, PIN: 248001

From: HFD SEMIL, PHEMAGRI

WLS: Gaurav,

At: 17:00, 06/03/2017, 13:21

Taxes: Rs. 2.00-000 (If not a holiday) 100x00100

श्रीमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
केन्द्रीय निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड,
भारत सरकार, नई दिल्ली

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी को संदेह था कि छावनी परिषद देहरादून द्वारा छावनी निर्वाचन निगम एवं छावनी अधिनियम 2006 के अनुरूप समासद पद हेतु होने वाले सामान्य छावनी निर्वाचन हेतु प्रतिवर्ष बनने वाली मतदाता सूची को सही प्रकार से नहीं बनाया जाता है तथा कार्यालय अधिकारियों द्वारा पैसा लेकर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से छावनी के बाहर के लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण बाहरी लोग निर्वाचन में गताधिकार का प्रयोग कर छावनी चुनाव को प्रभावित करते हैं, उपरोक्त की सत्यता के लिए प्रार्थी द्वारा छावनी परिषद देहरादून के कार्यालय से सूचना मांगी गई परन्तु छावनी परिषद देहरादून के लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई और ना ही अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी दी गई, विभाग द्वारा दी गई जानकारी से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी व संदेह सत्य है और विभाग द्वारा छावनी मतदाता सूची बनाने में घोर अनिमित्ताएं एवं लापरवाही की जाती है, जिससे छावनी चुनाव हमेशा ही बाहरी व्यक्तियों के मतदाता बन जाने से प्रभावित होते हैं, छावनी परिषद देहरादून भारत सरकार के नियन्त्रण में है तथा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के अधीन ही छावनी चुनाव कराए जाते परन्तु केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश का खुला उल्लंघन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि देश में लोक सभा एवं विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता हेतु केन्द्रीय निर्वाचन आयोग लगातार प्रयासरत है, परन्तु छावनी चुनाव की ओर माननीय आयोग के कार्य किए जाने को नितान्त आवश्यकता है, तथा छावनी कर्मचारियों की लापरवाही एवं मिलीभगत के कारण माननीय आयोग के निर्देश पर जनहित में आगामी छावनी चुनाव विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर कराए जाने अतिआवश्यक है, जिससे छावनी परिषद के गलत अधिकारी किसी व्यक्ति विशेष को लाभ ना पहुंचा सकें।

अतः महोदय से प्रार्थना है कि आगामी छावनी चुनाव में मतदान हेतु सम्बन्धित विधानसभा की मतदाता सूची को प्रयोग किए जाने व माननीय आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने हेतु उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें एवं साथ मतदाता सूची बनाने में अनिमित्ताएं करने वाले अधिकारी पर कड़ी कार्यवाही कराने की कृपा करें।

[Signature]

24-8-20

प्रार्थी

दिनांक : 04/03/2017

स्थान : 6 मैज स्टेशन 281

[Signature]

(हरे केमवाज)

म.नं. 290 पुरावा/सकवा

प्रेम नारा, देहरादून

248007

[Signature]

दिनांक 01-10-2020

श्री मान सन्दीप लोक सुनवा आत्म
कलकटेन्द्र, भारतीय, ईश्वर, अर्धेश्वरी,
श्री नगर देवराज.

विषय :- सुनेवा में आदिवासी बेल 2005
वि. धारा-7 के अन्तर्गत 48 कठे में
सुनेवा दिने जाने स्वयं प्र-पन. पत्र

ਸਿੱਖ

नम्र निवेदन :- विष्ठाउ नं-५

जो कि भारतीय हैं, उनके ही के साथ ही आता है।
प्राप्ति की विधि समझना है। यह है। मूल्य यह -

① यह कि बडि नं०-५ में २०१५-१६ के बौटर लिस्ट में सिरिगल बरबर २८५१ के ले कर २९१५ तक बिगुनन लोग एन० टी० पलोनी आइ० एन० ए० के फलबारी दिक्कतों को ले ले बताये कि ये फलबारी जो कि फर्जी बौटर में आपके बिभागा में सब गती हुई थी और कर-पोस्ट पर सब के फलियर में ।

② यह भी बताना कि इन विचारों को सबसे
बिना आदेश पर किसे अपने इसकी प्रशिक्षण
प्राप्त है.

(3) यदि भी बसों कि गन्ना एल० सी० 4 लोकी में बिना आपाव इजाजत में प्राइवेट लाईसेंस भी 1-परा किराये पर दिया जाता है।

७) यह कि उक्त शिर्षात्त वस्त्र पर जो बोट नगी
में बट 6 मीने करने पर सी बोट बगरी है.
उक्त लोरी से जो किराना लाया जाता है उससे
शरीद कि शीत से उत्पन्न किराना भीत से निकाला
जि जगह हुआ है बताया है।

(5) यह कि भारतीय संसद अकेली न सिध्दासी है
 और भारत सरकार के अंग है।
 कि यह संसद के अंग है कि जो कि
 कि यह संसद के अंग है कि जो कि
 कि यह संसद के अंग है कि जो कि

Wm. H. Burdett

End South

(13)

निम्नलिखित।

==

नोट -

- ① आचार्य जी कि ज्ञान
संज्ञान है।
- ② 20 हजारों का लौहद्वारा
आइड नं० 643879 व 643881
संज्ञान है।
- ③ नतदाता सुखी किद्यादाप्रति
संज्ञान है।

श्री श्री लक्ष्मी
वैद गुप्त।
(स्टेट प्रोपर्टी &)
आन लिडिंग जवाहर
एनोसिडेन्स।
247, रिज्म नगर
प्रेम नगर
देहरादून-241007
नं०-741706368।

लक्ष्मी

8. एम0टी0 कालोनी-आई0एम0ए0, देहरादून में एक आबंटित आवास में कितने व्यक्ति/सदस्य को रहने का अधिकार है ? सूचना उपलब्ध कराये।

(कृपा) यदि वे 4 हाथी परिवार देह 20 हाथी प्रकाशित मतदान सूची में नाम धारि आपके मतदाता सूची में नाम देह मतदान सूची में जो भी मतदान एम टी लाईन ओ 050 में देह 15 (कृप)

एम0टी0 कालोनी-आई0एम0ए0, देहरादून में सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं ? सूचना दें।

9. एम0टी0 कालोनी-आई0एम0ए0, देहरादून में सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं ? सूचना दें।

10. एम0टी0 कालोनी-आई0एम0ए0, देहरादून में आबंटित आवास में बाहरी व्यक्ति निवास कर सकता है या नहीं ? नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराये।

11. एम0टी0 कालोनी-आई0एम0ए0, देहरादून में निवास करने वाले व्यक्तियों के नाम मतदाता पहचान पत्र जारी हो सकता है या नहीं ? सूचना उपलब्ध कराये।

12. एम0टी0 कालोनी-आई0एम0ए0, देहरादून में रहने वाले बाहरी व्यक्ति के नाम मतदाता पहचानपत्र या मतदाता सूची में नाम अंकित हो सकता है या नहीं ? सूचना उपलब्ध कराये।

13. एम0टी0 कालोनी-आई0एम0ए0, देहरादून में रहने वाले बाहरी व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में अंकित हो गये हैं या मतदाता पहचानपत्र बन गया है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, सूचना उपलब्ध कराये।

उपरोक्तानुसार सूचना प्राप्ति हेतु रू0 10/- का पोस्टल आर्डर नं0 33 F

968311/1/76 मूल रूप में संलग्न किया जा रहा है।
संलग्न कर दिया 14 नं0 मतदाता सूची यदि नं0 4 सुवर्णी पोस्टल देह

24-8-20

प्राप्ति,
+ [Signature]

श्री हरि सेमवाल,

मकान नं0-90, पुराना डाकघर,

भारतीय डाक विभाग
DIRECTOR GENERAL OF POSTS



[Signature]

10. सूचना अनुच्छेद 8 के संदर्भ में, यह कर्मचारियों के परिवार के आकार पर निर्भर करता है।
11. सूचना अनुच्छेद 14 के संदर्भ में, यह सूचना इस अकादमी से संबंधित नहीं है।
12. सूचना अनुच्छेद 9 के संदर्भ में, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (अ) के अन्तर्गत सूचना साज नहीं किया जा सकता है।
13. सूचना अनुच्छेद 10 के संदर्भ में, कर्मचारियों के परिवार तथा आश्रितों की अनुमति है।
14. सूचना अनुच्छेद 11 के संदर्भ में, है।
15. सूचना अनुच्छेद 12 और 13 के संदर्भ में, सूचना निर्वचन देहरादून से प्राप्त कर सकते हैं।
16. इस अकादमी के प्रथम अपील अधिकारी का विवरण इस प्रकार है:-

डिप्टी कमाण्डेंट एवं मुख्य अनुदेशक
भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून

24-8-20

(Signature)

(जितेन्द्र डोगरा)
(Jitendra Dogra)
लैफ्टिनेंट कर्नल / Lieutenant Colonel
सोक सूचना अधिकारी
Public Information Officer

(Signature)

अनुसूची सूची नं-4 हावली पोस्ट देवदू २०१४ ⑩

2831	सुमती देवी	70	मंगलशाम गुला	57	ओल्ड पोस्ट ऑफिस, प्रेमनगर, देवदू
2832	विनीता गुला	35	मंगलशाम गुला	57	ओल्ड पोस्ट ऑफिस, प्रेमनगर, देवदू
2833	विनीता गुला	30	विनीता गुला	57	ओल्ड पोस्ट ऑफिस, प्रेमनगर, देवदू
2834	राजेश	40	मंगलशाम गुला	57	ओल्ड पोस्ट ऑफिस, प्रेमनगर, देवदू
2835	रमेश	38	राजेश	57	ओल्ड पोस्ट ऑफिस, प्रेमनगर, देवदू
2836	विनीता	48	राजेश	57	ओल्ड पोस्ट ऑफिस, प्रेमनगर, देवदू
2837	राजेश	48	मंगलशाम गुला	57	ओल्ड पोस्ट ऑफिस, प्रेमनगर, देवदू
2838	विनीता	48	राजेश	57	ओल्ड पोस्ट ऑफिस, प्रेमनगर, देवदू
2839	विनीता	25	राजेश	57	ओल्ड पोस्ट ऑफिस, प्रेमनगर, देवदू
2840	सुमती	24	राजेश	57	ओल्ड पोस्ट ऑफिस, प्रेमनगर, देवदू
2841	महा	25	अनील	57	ओल्ड पोस्ट ऑफिस, प्रेमनगर, देवदू
2842	मंगलशाम गुला	71	मंगलशाम गुला	57	ओल्ड पोस्ट ऑफिस, प्रेमनगर, देवदू
2843	मंगलशाम गुला	68	मंगलशाम गुला	57	ओल्ड पोस्ट ऑफिस, प्रेमनगर, देवदू
2844	राजेश	48	मंगलशाम गुला	57	ओल्ड पोस्ट ऑफिस, प्रेमनगर, देवदू
2845	रमेश चंद काला	47	विनीता गुला	115	ओल्ड पोस्ट ऑफिस, प्रेमनगर, देवदू
2846	सुमती गुला	42	रमेश चंद काला	156 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2847	सुमती गुला	40	सुमती गुला	156 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2848	सुमती गुला	18	सुमती गुला	156 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2849	विनीता देवी	50	राम प्रसाद	156 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2850	मनीष	32	राजेश	156 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2851	रमेश	28	मनीष	156 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2852	मनीष	30	मनीष	156 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2853	विनीता	27	मनीष	156 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2854	राजेश	50	अशोक	156 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2855	मनीष	65	राम प्रसाद	156 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2856	अशोक	49	मनीष	156 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2857	मंगलशाम गुला	59	सुमती गुला	156 / 1	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2858	सुमती देवी	57	सुमती गुला	156 / 1	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2859	विनीता	28	मंगलशाम गुला	156 / 1	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2860	सुमती	50	सुमती गुला	156 / 1	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2861	राजेश	45	अशोक	156 / 1	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2862	मनीष	28	अशोक	156 / 1	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2863	विनीता	24	मनीष	156 / 1	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2864	मनीष	23	अशोक	156 / 1	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2865	विनीता	21	अशोक	156 / 1	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2866	मंगलशाम गुला	35	जी डी	156 / 1	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2867	सुमती देवी	30	जे एम राम	156 / 1	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2868	विनीता	28	सुमती गुला	156 / 1	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2869	मंगलशाम गुला	34	विनीता गुला	155 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2870	सुमती देवी	29	मंगलशाम गुला	155 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2871	सुमती देवी	62	मनीष	155 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2872	सुमती देवी	35	मनीष	155 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2873	सुमती देवी	35	सुमती देवी	135 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2874	सुमती देवी	18	सुमती देवी	155 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2875	सुमती देवी	35	एन चंद	155 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2876	सुमती देवी	32	विनीता	155 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2877	सुमती देवी	45	मंगलशाम गुला	154 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू
2878	सुमती देवी	44	मंगलशाम गुला	154 / 2	एम टी कॉलोनी, प्रेमनगर, देवदू

Handwritten signature/initials

19

**अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून।**

अपील संख्या- 14/2020

अपीलकर्ता- श्री वेद गुप्ता (पत्रकार), 247-स्मिथ नगर, प्रेमनगर, देहरादून।

उत्तरदाता- लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश

अपीलकर्ता श्री वेद गुप्ता (पत्रकार), 247-स्मिथ नगर, प्रेमनगर, देहरादून अपीलीय पत्र दिनांक 14.10.2020 के सम्बन्ध में दिनांक 12.11.2020 के प्रातः 11.00 बजे से उनके मोबाइल नम्बर 7417063681 पर अपील के सम्बन्ध में सुनवाई प्रारम्भ की गयी।

अपीलकर्ता को लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र संख्या-782 दिनांक 15 सितम्बर 2020 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी तथा अवगत कराया गया कि निर्वाचन विभाग द्वारा केवल विधान सभा निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नियमानुसार सम्पन्न की जाती है।

अपीलकर्ता को अनुरोध सहित यह भी अवगत कराया गया कि उनके अनुरोध पत्र दिनांक 24.8.2020 में जो सूचना मांगी गयी थी वह इस कार्यालय से सम्बन्धित न होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत Central Public Information Office (CPIO) Officer Superintendent, Cantonment Board Officer Garhi Dehradun Cant Uttarakhand को हस्तान्तरित किया गया था।

2- केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय छावनी परिषद देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या-VI/56/RTI/VG/13 दिनांक 22 अक्टूबर 2020 जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, के द्वारा आपके उक्त अनुरोध पत्र के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित की गयी है। फलस्वरूप संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार मोबाइल के माध्यम से अपील की सुनवाई के फलस्वरूप अपील को निस्तारित किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी/मु0नि0अधि0 कार्यालय द्वारा पूर्व में उपलब्ध करायी गयी सूचना कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उचित है।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी।

दिनांक - 23/11/2020

पू0संख्या-111/XXV-12(9)/2018 तददिनांकित।

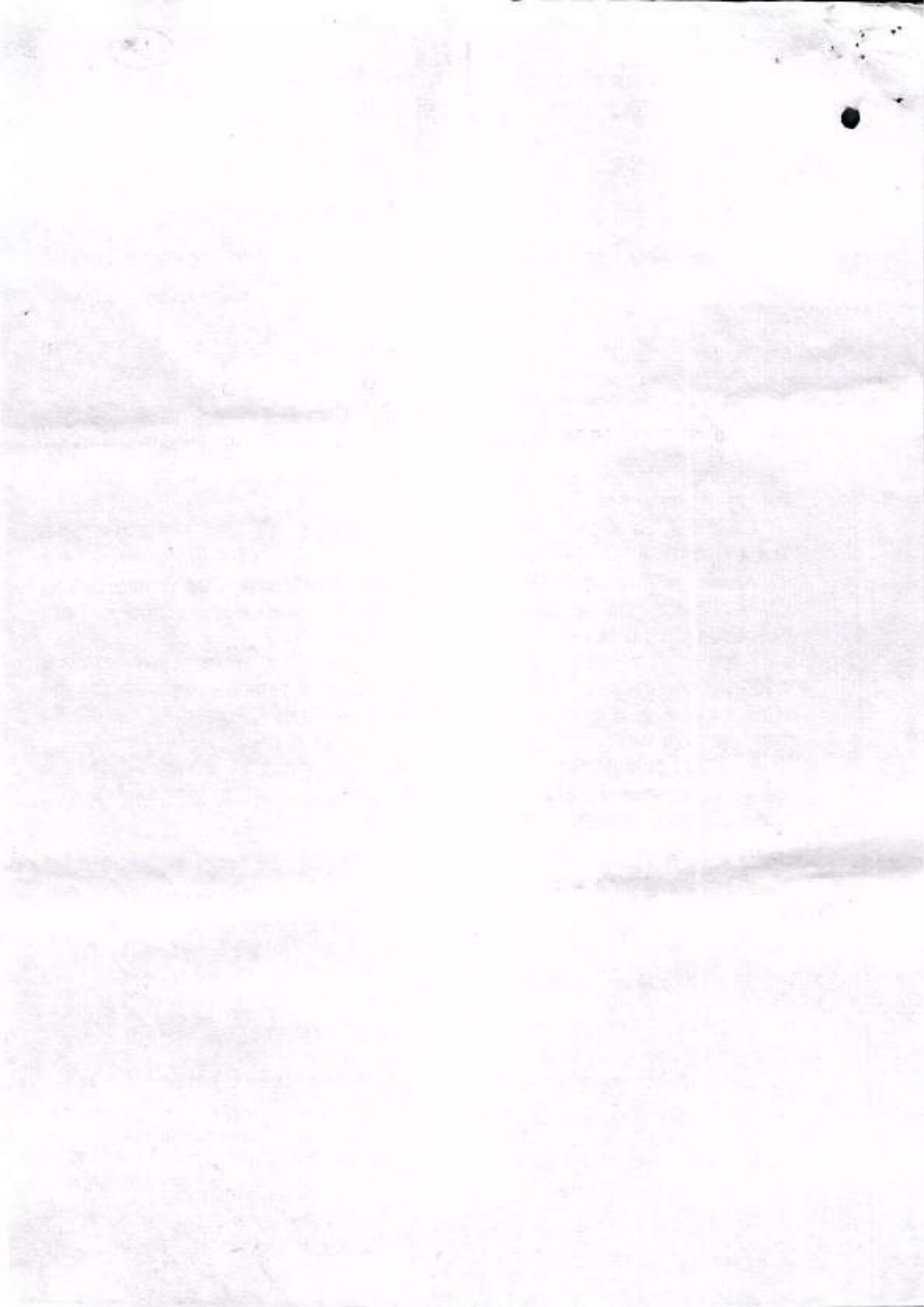
प्रतिलिपि:-

1-अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।

2- श्री वेद गुप्ता (पत्रकार), 247-स्मिथ नगर, प्रेमनगर, देहरादून, को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी।



संख्या: ११३ /XXV-12(10)/2018

देहरादून : दिनांक 23 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

श्री वेद गुप्ता (पत्रकार),
247-स्मिथ नगर,
प्रेमनगर, देहरादून।
मो० नम्बर-7417063681

(2)

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील पर सुनवाई के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपने अपीलीय पत्र दिनांक 08 अक्टूबर 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या-782 दिनांक 15 सितम्बर 2020 द्वारा आपके अनुरोध पत्र दिनांक 24-8-2020 में अंकित 4 बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित न होने के कारण Central Public Information Office (CPIO) Officer Superintendent, Cantonment Board Officer Garhi Dehradun Cant (Uttarakhand) Pin Code-248003, को हस्तान्तरित की गयी है जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गयी है। आपने अपने उक्त अपीलीय पत्र में उल्लेख किया है कि आपको अभी तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पुनः आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या-782 दिनांक 15 सितम्बर 2020 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

2- सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 12 नवम्बर 2020 की तिथि समय- 11:00 बजे निर्धारित की गयी है।

3- मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या-2913 दिनांक 04-06-2020 द्वारा विभागीय प्रथम अपीलों का निस्तारण कोविड-19 के संक्रमण, महामारी के दृष्टिगत जनहित तथा कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में सुनवाई ऑडियो/वीडियो कॉल के माध्यम से या लिखित अभिकथन के आधार पर किये जाने के निर्देश हैं।

अतः अनुरोध है कि आपसे उक्त नियत दिनांक व समय पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय फोन नम्बर-0135-2713551 मोबाईल नम्बर 9897995591 से सम्पर्क कर अपील की सुनवाई में प्रतिभाग किया जा सकता है। कृपया सम्पर्क हेतु अपना मोबाईल नम्बर/Whatsapp नम्बर /E-Mail आईडी उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अनुरोध करना है कि यदि आप सहमत हों तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में दूरभाष से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)

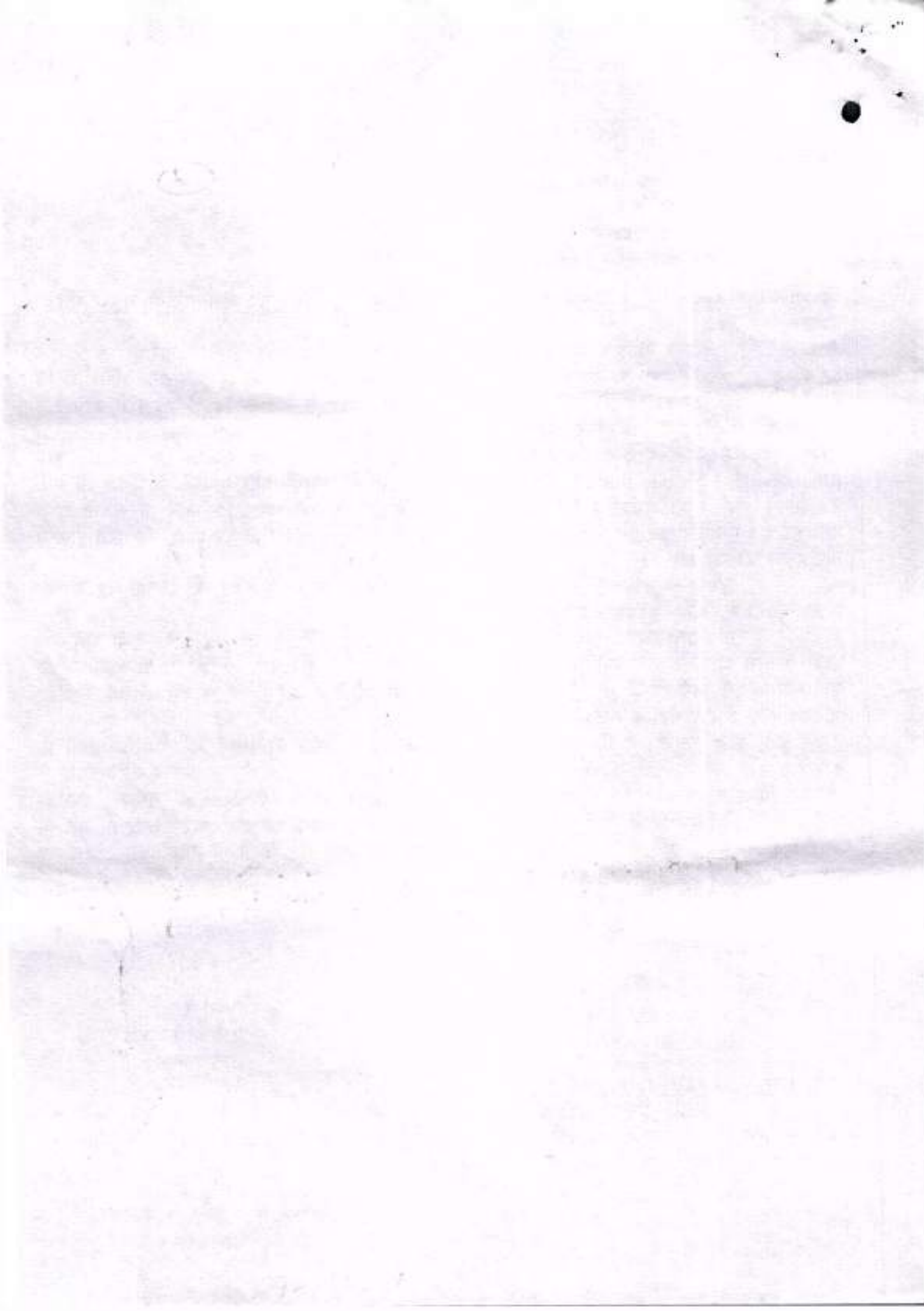
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पृ०संख्या- /XXV-12(9)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।



7922/26-2020/VG/RTI

27 अक्टूबर 2020

वेद गुप्ता (स्टेट प्रेसीडेंट), आल मिडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन

247, स्मिथ नगर,

प्रेम नगर, देहरादून -248007

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगने के सम्बंध में

RIGHT TO INFORMATION ACT -2005

VED GUPTA

1. आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 01 अक्टूबर 2020 के संदर्भ में जो इस कार्यालय में दिनांक 06 अक्टूबर 2020 को प्राप्त हुआ।
2. सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मान्य एवं इस अकादमी में उपलब्ध सूचना निम्नलिखित पैराग्राफों में दी जा रही है।
3. **प्रश्न 1 की सूचना.** छावनी परिषद की मतदाता सूची की क्रम संख्या 2849 से 2915 की जाँच करने पर ज्ञात हुआ है कि भारतीय सैन्य अकादमी के निम्नलिखित कर्मचारियों को एम टी कॉलोनी, भारतीय सैन्य अकादमी में विवाहित आवास आवंटन किया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी/मतदाता का नाम	मकान संख्या तथा स्थल
(i)	कारपेन्टर श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री सुक राम (31 मई 2016 को सेवानिवृत्त) 2857	ईडब्ल्यू - 156/1, एम टी कॉलोनी
(ii)	युडीसी श्री रूप राज गुरुंग पुत्र बम बहादुर 2846	ईडब्ल्यू - 156/2, एम टी कॉलोनी
(iii)	एम टी ड्राईवर श्री शाब सिंह पुन्डीर (सेवानिवृत्त) 2897	ईडब्ल्यू - 155/1, एम टी कॉलोनी
(iv)	आशुलिपिक श्री महेन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री दिलवर सिंह 2869	ईडब्ल्यू - 155/2, एम टी कॉलोनी
(v)	एम टी ड्राईवर श्री गुमान सिंह (सेवानिवृत्त) 2886	ईडब्ल्यू - 154/1, एम टी कॉलोनी
(vi)	युडीसी श्रीमती विमला देवी पत्नि श्री राम प्रसाद 2849	ईडब्ल्यू - 154/2, एम टी कॉलोनी
(vii)	एम टी ड्राईवर श्री नरेन्द्र सिंह 2904	ईडब्ल्यू - 153/1, एम टी कॉलोनी
(viii)	एलडीसी श्री आदेश कुमार 2890	ईडब्ल्यू - 153/2, एम टी कॉलोनी
(ix)	फटीगमैन श्री विरेन्द्र सिंह (29 फरवरी 2020 को सेवानिवृत्त) 2937	ईडब्ल्यू - 176/5, एम टी कॉलोनी
(x)	सफाईवाला श्री दीपक कुमार 2905	ईडब्ल्यू - 177/6, एम टी कॉलोनी
(xi)	ग्राउन्ड्समैन श्री रंजी कुमार 2916	ईडब्ल्यू - 177/5, एम टी कॉलोनी

21/10/20

4. प्रश्न 2 की सूचना. सूचित किया जाता है कि एम ई एस की सूचना के आधार पर पिछले अध्यासी के आवास को खाली करने के उपरान्त स्टेशन क्वार्टरिंग समिति द्वारा पैरा 3 के अनुसार आवासों का आवंटन किया गया है। यदि मतदाता सूची की क्रम संख्या 2849 से 2915 में आवंटियों के परिजनों के नाम दर्शित हैं तो यह कार्यालय इसकी पुष्टी नहीं करता। हालाँकि इसकी सूचना छावनी परिषद, गढ़ी कैन्ट के कार्यालय से माँगी जा सकती है।
5. प्रश्न 3 तथा 4 की सूचना. सरकारी विवाहित - आवास भारतीय सैन्य अकादमी के स्थायी कर्मचारियों को एम टी कॉलोनी में आवंटित किए जाते हैं। कोई भी बाहरी असेैनिक व्यक्ति भारतीय सैन्य अकादमी के सरकारी विवाहित-आवास के लिए प्राधिकृत नहीं है।
6. प्रश्न 5 की सूचना. सूचना पहले ही पैराग्राफ 4 में दी जा चुकी है। सभी सरकारी कर्मचारी भारतीय सैन्य अकादमी के स्टेशन एडहॉक मुख्यालय में सरकारी विवाहित-आवास के आवंटन के लिए आवेदन करते हैं। एक वरिष्ठता/प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है जिसमें वरिष्ठता के अनुसार अधिकारियों की परिषद के द्वारा सरकारी विवाहित - आवासों का आवंटन किया जाता है।
7. इस अकादमी के प्रथम अपील अधिकारी का विवरण इस प्रकार है:-

डिप्टी कमाण्डेंट एवं मुख्य अनुदेशक
भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून

AK Sharma

AK Sharma

(ए के शर्मा)

(AK Sharma)

कर्नल / Colonel

लोक सूचना अधिकारी

Public Information Officer

5

संख्या VI/56/RTI/VG/13
कार्यालय छावनी परिषद देहरादून
दिनांक:- 22 अक्टूबर 2020

सेवा में,

श्री बसन्त सिंह रावत
अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर
4-सुभाष रोड,
देहरादून-248001

विषय:-सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना के संबंध।
आपके पत्रांक संख्या-782/XXV-12(9)/2018 देहरादून दिनांक
15/09/2020 के संदर्भ में।

महोदय,

एतद द्वारा आपको यह अवगत करवाना है कि श्री वेद गुप्ता पत्रकार निवासी 247,स्मिथनगर,प्रेमनगर, देहरादून के अनुरोध पत्र दिनांक 24/08/2020 के संदर्भ में आपको यह सूचित करना है कि छावनी परिषद अधिनियम 2007 के Cantonment Electoral Rules, 2007 अंतर्गत 1 जून से 30 जून तक अपने कर्मचारीयो द्वारा प्रति वर्ष सर्वे कराया जाता है जिसमे नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक घर में संपर्क कर वोटर लिस्ट का निर्माण करता है और प्रत्येक घर के मुखिया से संपर्क करके वोटरलिस्ट में नाम लिखता है जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी घर के मुखिया या जो भी नाम लिस्ट में चढवा रहा है और हस्ताक्षर करता है, कि होती है तत्पश्चात छावनी परिषद देहरादून द्वारा 1 जुलाई से बनाई गई वोटर लिस्ट को Cantonment Electoral Rules, 2007 कि धारा 13 के अंतर्गत 1 जून से 30 जून तक उक्त वोटरलिस्ट का प्रकाशन क्लेम व ओब्जेक्शन हेतु करता है तत्पश्चात जो भी क्लेम व ओब्जेक्शन प्राप्त होते है उनका निराकरण सुनवाईकर कर देता है व 15 सितंबर को अंतिम व पूर्ण सुनवाई के बाद वोटरलिस्ट का प्रकाशन करता है।

[Signature]

6

छावनी परिषद देहरादून द्वारा वोटरलिस्ट के प्रकाशन में संपूर्ण
Cantonment Electoral Rules, 2007 के नियम का पालन करता है व
तत्पश्चात ही वोटरलिस्ट का प्रकाशन करता है।

रिपोर्ट सूचनाथ सेवा में प्रेषित

लोक सूचना अधिकारी

राज्य लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय छावनी परिषद देहरादून
छावनी परिषद, देहरादून

[Signature]

प्रतिलिपी

✓ श्री वेद गुप्ता (पत्रकार),
247, स्मिथनगर, प्रेमनगर,
देहरादून।

सेवा है

(7)

श्री मान प्रथम अपीलीय अधिकारी/
श्री मान पुरुष निवाचन आयोग
केन्द्रीय निवाचन आयोग उत्तराखण्ड
(भारत सरकार) देहरादून।

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005
के धारा-7 के अधीन प्रथम अपीलीय
प्रतिना पत्र।

महोदय

व्यक्ति निवेदन है कि 24-8-2020
को श्री मान लोक सूचना अधिकारी/श्री मान
पुरुष निवाचन आयोग के 4 बिन्दुओं पर
सूचना मांगी गई थी। जबकि सूचना 48 घण्टे
के दैनी थी। मुझे आज तक कोई भी सूचना
प्राप्त नहीं हुई है।

अतः श्रीमान जी आपके विरुद्ध
प्रतिना है कि लोक सूचना अधिकारी के
विरुद्ध सरलत दण्डालक कार्यवाही कर सूचना
दिलाने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

दिनांक
8-10-2020

नोट:- दो फूट के दायज
समाप्त है।

प्राप्ति 11/10/20
वैद गुप्ता

(पत्रकार)

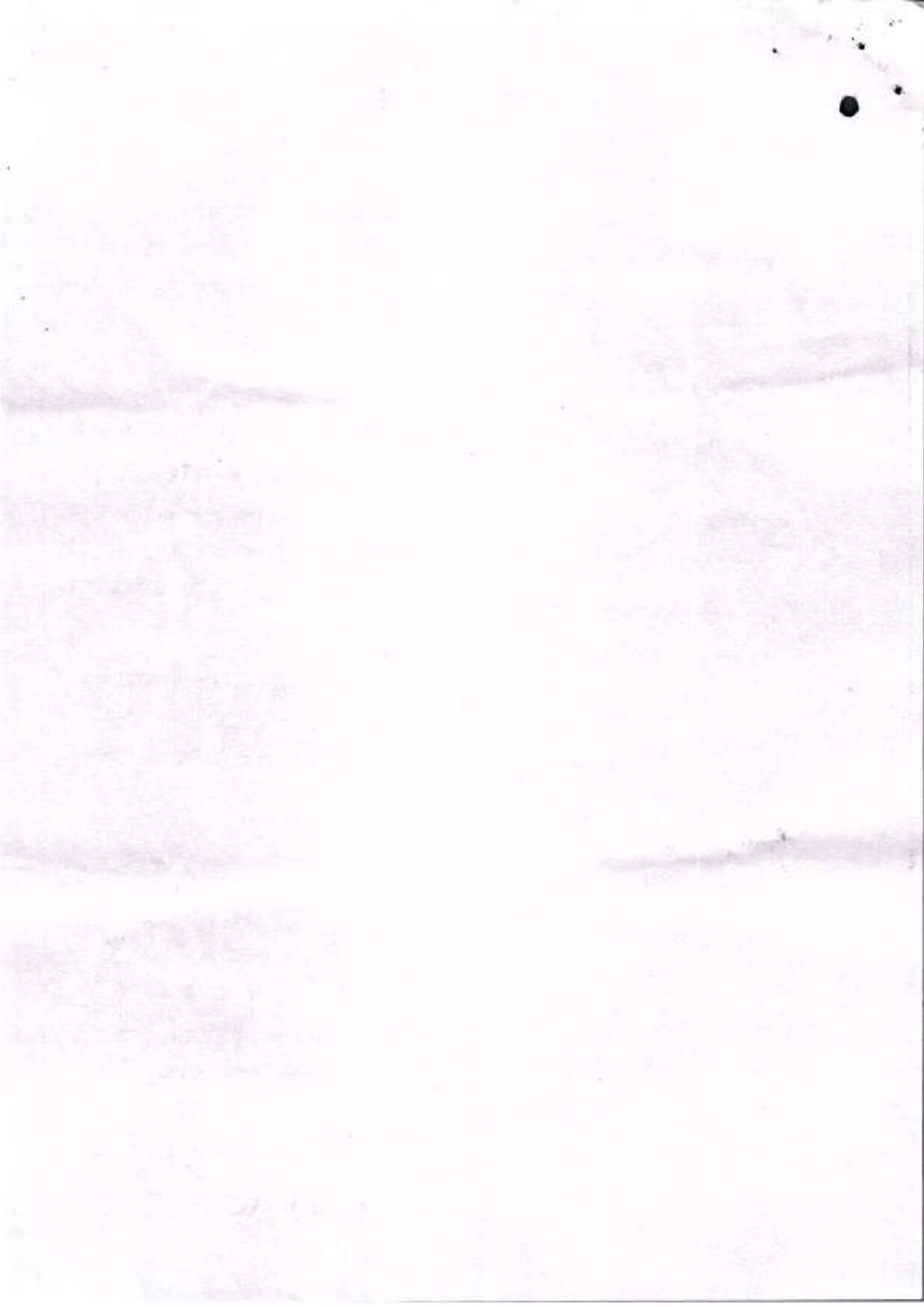
247, विष्णु नगर,

पुन नगर,

देहरादून

मो:- 7417063681

11/10/20



कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड, देहरादून- 248001

Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in

फोन नं (0135) - 2713551

फैक्स नं (0135) -2713724

संख्या- 782/XXV- 12(9)/2018 देहरादून : दिनांक 15 सितम्बर, 2020

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण के लिए प्रपत्र सेवा में,

**Central Public Information
Office (CPIO)
Officer Superintendent,
Cantonment Board Officer Garhi
Dehradun Cant (Uttarkhand)
Pin Code 248003**

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-487 दिनांक-1.09.2020 के साथ संलग्न श्री वेद गुप्ता (पत्रकार), पता-247 स्मिथनगर, प्रेमनगर, देहरादून, का अनुरोध पत्र दिनांक 24.08.2020 जो इस कार्यालय में दिनांक 03.09.2020 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, कि प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि चाही गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित प्रतीत होती है। अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

प्रसंख्या- 782 /XXV- 12(9) /2018 , तददिनांक।

प्रतिलिपि- श्री वेद गुप्ता (पत्रकार), पता-247, स्मिथनगर, प्रेमनगर, देहरादून, को सूचनार्थ प्रेषित।

B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

W. S. K.

महोदय श्री जय श्री अखिल भारतीय
ट. भारतीय रैप अकादमी
नगर देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार 2005 के
धारा-7 के अधीन प्रपत्र अपीलित अधिन
पत्र।

महोदय,

मैं निवेदन है कि श्री जय श्री अखिल
भारतीय सूचना अधिकारी के दिनांक 01-10-2020
को 5 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी थी। जो कि
धारा-7 के अधीन थी। आज तक मुझे कोई
सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा प्रतीत होता
है कि शापद आपके विभाग पर आर. टी. आर्.
कायदा लागू ही नहीं होता है। मैंने कई बार
सूचना मांगी है। किसी जानकारी को खतरा निरन्तर
बना हुआ है।

अतः श्री जय श्री अखिल भारतीय
अधीन है कि श्री जय श्री अखिल भारतीय सूचना अधिकारी
के बिन्दु सरल दण्डालक के दिनांक पर सही
समाप्त पर सूचना देने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

दिनांक
16-10-2020

नोट:- श्री रूट के दादाजी
समाप्त है।

श्री जय श्री अखिल भारतीय
वेद गुप्ता
(स्टेट प्रेसीडेंट)
ऑल इंडिया जर्मनियन
247, किन्नर नगर,
अन नगर,
देहरादून,
मो:- 7417063681

श्री जय श्री अखिल भारतीय

सेवान,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी /
 श्रीमान जय विधान आयोग,
 केंद्रीय विधान आयोग उत्तराखण्ड
 (भारत सरकार) ~~दिल्ली~~ देहरादून

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के
 धारा 7 के अधीन प्राप्त सूचना दिदि जान
 हेतु प्रेषित पत्र ।

प्रतिपक्ष

बोध निवेदन है कि मुझे श्रीने
 दिदि गैर विदुषी पर निम्न सूचना देने का
 कष्ट कर:-

① यह कि दिनांक 4-3-2017 को आपके कार्यालय
 के दूर सेवाकाल निवासी क्र. 20-90, पुराना
 जमखर, ग्राम नगर, देहरादून द्वारा एक प्रेषित
 पत्र दिदा गया था। उस पर आपके द्वारा कदा
 कापि बाकी हुई, प्रमाणित प्रति दे सहित कपि
 बाकी की।

② यह कि दूर सेवाकाल द्वारा श्री भारतीय सैन्य
 अकादमी व केंद्रीय सूचना आयोग के श्री
 वीर लिस्ट में बनी सजी बोटी के बारे में
 बिन्दु संख्या 8-A पर वीर लिस्ट क्रमांक नं.
 2849 के 2915 तक पृष्ठ गदा था। परन्तु इनके
 द्वारा श्री प्रत्येक सूचना दी गयी। जबकि मैं
 शिवालयन लौट रहा हूँ इस लक्ष्य कि सजी
 वीरों कि सम्पूर्ण जानकारी भी देने कि
 कृपा करे।

③ यह कि मैं भी बताने का कष्ट करे कि दावनी

1/1/2020

॥
 गोरपाद कैंट, देहरादून के मिस अधिकारी द्वारा
 ये वोटर लिस्ट बनाई गई थी। उसका नाम, पता
 बना देने का कष्ट करें।

५) यह कि जो लोग का कष्ट करें कि इन
 मजि मतदाताओं के रिबलाय कर कपिवाही
 कोणी और कोन अधिकारी मिस निम्न
 के तहत कपिवाही करेंगे।

अतः श्री मान श्री डाक्टर
 विनय प्रियदा है कि इनर दिने गई ५
 बिन्दुओं पर ५४ पन्ने के भीतर सूचना
 देने का कष्ट करें। क्योंकि मरी जान से
 खतरा है और उत्तराखण्ड शासन द्वारा
 इसे सुरक्षा मिलि हुई है।

धन्यवाद।

दिनांक
 २५-८-२०

श्री श्री
 वेद गुला
 (पत्रकार)

मोट: - २० रुपये का पोस्टल ऑर्डर नं. २५७, सिम्रन नगर,
 आडर २०९९१०१३ व १९९०१५ में ज्ञात है, देहरादून।

मोट: - ५-३-१७ का वरि रुज्जाल
 जी के प्रियदा का वरि रुज्जाल
 के प्रियदा पत्र व वोटर लिस्ट
 कि अति सम्मान है, कुलप देव
 कि दादा श्री लॉन है।

52F 99901.

Date here

Whoever crossed

At what Office

मिस प्रियदा

मिस प्रियदा

POSTAL ORDER

₹ 10

पोस्टल ऑर्डर

To be detached and kept

by the Sender.

अधिकांश कौन्सिल

52F 999013

Date sent

Whoever crossed

At what Office

मिस प्रियदा

मिस प्रियदा

POSTAL ORDER

₹ 10

पोस्टल ऑर्डर

To be detached and kept

by the Sender.

अधिकांश कौन्सिल

रूपी २ कोट

12

श्रीमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
केन्द्रीय निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड,
भारत सरकार, नई दिल्ली

EV554850170IN
Counter No: LCP-Code: 001
To: CHIEF ELECTION COM, CENTER ELEC. ARVIL
DEHRAUN, PIN: 248001
From: HFD SERIAL, PENDING
HFD/Dehraun,
Date: 17.06/03/2017, 13:21
Taxes: Rs. 2.00-ED (If not a holiday) 100x100x100

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी को संदेह था कि छावनी परिषद देहरादून द्वारा छावनी निर्वाचन निगम एवं छावनी अधिनियम 2006 के अनुरूप समासद पद हेतु होने वाले सामान्य छावनी निर्वाचन हेतु प्रतिवर्ष बनने वाली मतदाता सूची को सही प्रकार से नहीं बनाया जाता है तथा कार्यालय अधिकारियों द्वारा पैसा लेकर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से छावनी के बाहर के लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण बाहरी लोग निर्वाचन में मतदाता का प्रयोग कर छावनी चुनाव को प्रभावित करते हैं, उपरोक्त की सत्यता के लिए प्रार्थी द्वारा छावनी परिषद देहरादून के कार्यालय से सूचना मांगी गई परन्तु छावनी परिषद देहरादून के लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई और ना ही अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी दी गई, विभाग द्वारा दी गई जानकारी से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी व संदेह सत्य है और विभाग द्वारा छावनी मतदाता सूची बनाने में धोरा अनिमित्ताएं एवं लापरवाही की जाती है, जिससे छावनी चुनाव हमेशा ही बाहरी व्यक्तियों के मतदाता बन जाने से प्रभावित होते हैं, छावनी परिषद देहरादून भारत सरकार के नियन्त्रण में है तथा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के अधीन ही छावनी चुनाव कराए जाते परन्तु केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश का खुला उल्लंघन किया जाता है। तल्लेखनीय है कि देश में लोक सभा एवं विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता हेतु केन्द्रीय निर्वाचन आयोग लगातार प्रयासरत है, परन्तु छावनी चुनाव की ओर माननीय आयोग के कार्य किए जाने को नितान्त आवश्यकता है, तथा छावनी कर्मचारियों की लापरवाही एवं मिलीभगत के कारण माननीय आयोग के निर्देश पर जनहित में आगामी छावनी चुनाव विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर कराए जाने अतिआवश्यक है, जिससे छावनी परिषद के गलत अधिकारी किसी व्यक्ति विशेष को लाभ ना पहुंचा सकें।

अतः महोदय से प्रार्थना है कि आगामी छावनी चुनाव में मतदान हेतु सम्बन्धित विधानसभा की मतदाता सूची को प्रयोग किए जाने व माननीय आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने हेतु उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें एवं साथ मतदाता सूची बनाने में अनिमित्ताएं करने वाले अधिकारी पर कड़ी कार्यवाही कराने की कृपा करें।

24-8-20

दिनांक :- 04/03/2017

संलग्न :- 6 प्रेजेंटेशन

प्रार्थी

Handwritten signature
(हरि देवराज)
म.नं. = 90 पु.वा. 1/क.वा.
पु.म. नगर, देहरादून
248007

Handwritten signature

विनाशोद

नोट -

- ① आचार्य जी के जन्म
संज्ञान है।
- ② 20 हजारों का गैर
जोड़ नं० 643879 व 64388।
संज्ञान है।
- ③ नरदाता सुनी कि दादाश्री
संज्ञान है।

श्री श्री १०८
वैद गुप्त।
(इस्टेड प्रोपर्टी)
आन सिडिया जवाब
एनोमल
247, रिजल नगर
प्रेम नगर
देरादून - 246
नं० - 741706368

W. J. J.

8. एम0टी0 कालोनी-आई0एम0ए0, देहली में एक आबटिस आवास में
किताबें व्यक्ति/सदस्य को रहने का अधिकार है ? सूचना उपलब्ध
करायें।

(६७) यदि से ५ लाखों परियुक्त देखा देता हुआ प्रकाशित मतदान। इसी की
समय धात्री आपके प्रान्त की प्रेस में है। इस मतदान प्रणाली है
जो भी मतदान एम सी लार्डन आ (१५०) से (१५०) है (१५०)

अथ व विष्णु सत्त्वाना प्रपन्न एव च लोहित आदि एतद्
कर्म साधनं तद आदि एव च लोहित आदि एव च लोहित
आदि एव च लोहित आदि एव च लोहित आदि एव च लोहित
आदि एव च लोहित आदि एव च लोहित आदि एव च लोहित

9. एम0टी0 कॉलोनी-आई0एम0ए0, देहरादून में सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं ? सूचना दें।

10. एम0टी0 कालोनी-आई0एम0ए0, देहरादून में आबंटित आवास में बाहरी व्यक्ति निवास कर सकता है या नहीं ? नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराये।

11. एम0टी0 कालोनी-आई0एम0ए0, देहरादून में निवास करने वाले धर्मितियों के नाम मतदाता पहचान पत्र जारी हो सकता है या नहीं ? सूचना उपलब्ध कराये।

12. एम0टी0 कालोनी-आई0एम0ए0, देहरादून में रहने वाले बाहरी व्यक्ति के नाम मतदाता पहचानपत्र या मतदाता सूची में नाम अंकित हो सकता है या नहीं ? सूचना उपलब्ध कराये।

13. एम0टी0 कालोनी-आई0एम0ए0, देहरादून में रहने वाले बाहरी व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में अंकित हो गये हैं या मतदाता पहचानपत्र बन गया है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही ~~करायी~~ ^{है} सुनिश्चित उपलब्ध कराये।

संपरोक्तानुसार सूचना प्राप्ति हेतु रु० 10/- का पोस्टल आर्डर नं० 33rd

968311/५/216 मूल रूप में संलग्न किया जा रहा है।

संकेत: कविश्याम भीमतदाता टुपी कटि नं० = ५ छावनी पोस्ट देवडा

24-5-20

प्रार्थी,

श्री हरि सेमवाल,

मकान नं०-९०, पुराना डाकघर.



10. सूचना अनुच्छेद 8 के संदर्भ में, यह कर्मचारियों के परिवार के आकार पर निर्भर करता है।
11. सूचना अनुच्छेद 8A के संदर्भ में, यह सूचना इस अकादमी से संबंधित नहीं है।
12. सूचना अनुच्छेद 9 के संदर्भ में, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (अ) के अन्तर्गत सूचना राज नहीं किया जा सकता है।
13. सूचना अनुच्छेद 10 के संदर्भ में, कर्मचारियों के परिवार तथा आश्रितों को अनुमति है।
14. सूचना अनुच्छेद 11 के संदर्भ में, है।
15. सूचना अनुच्छेद 12 और 13 के संदर्भ में, सूचना निर्वचन देहरादून से प्राप्त कर सकते हैं।
16. इस अकादमी के प्रथम अपील अधिकारी का विवरण इस प्रकार है:-

हिन्दी कमाण्डेंट एवं मुख्य अनुदेशक
भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून

24/9/20
24-8-20



(जितेन्द्र डोगरा)
(Jitendra Dogra)
लैफ्टिनेंट कर्नल / Lieutenant Colonel
लोक सूचना अधिकारी
Public Information Officer



①

65

